क्या बैंक में रखी गयी मेरी जमाराशियां सुरक्षित हैं ?

जी हाँ, वे पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सुदृढ़ नियंत्रण और पर्यवेक्षण और बैंकों के आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के कारण उनके पास पर्याप्त पूंजी, सुप्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण उपलब्ध है।

ओह ! शायद आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात कर रहे हैं।

जी नहीं। यह निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी बैंकों के लिए प्रयोज्य है।

परंतु कभी -कबार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी - न - किसी बैंक को बंद कर दिए जाने का समाचार आता रहता है। उन बैंकों में रखी गयी मेरी जमाराशियों का क्या होगा ? मैं एक लघु जमाकर्ता हूँ।

घबराइए नहीं। बैंक संकल्पना एक ऐसा कार्यकलाप है जिसका प्रयोग संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जमाकर्ताओं के सर्वोच्च हित में किया जाता है। आपकी जमाराशियों का एक निर्धारित सीमा तक (वर्तमान में प्रति जमाकर्ता 1 लाख रु) बीमा किया जाता है जो आपके बैंक के विफल होने की स्थिति में आपको वापस किया जाता है। उपर्युक्त सीमा तक आपकी जमाराशियां बीमाकृत हैं, हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी न हो।

परंतु मेरी जमाराशियों का बीमा कौन करता है ?

आपकी जमाराशियों का बीमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (निबीप्रगानि) द्वारा किया जाता है, जो दुनिया की दुसरी सबसे पुरानी जमा बीमाकर्ता है और चुपचाप जमाकर्ताओं, विशेषत: छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा कर रही है। यह संसद में पारित अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था है और वर्ष 2011-12 में इसका स्वर्ण जयंती महोत्सव है।

यह ठीक है, पर निगम कितना प्रीमियम लेती है ?

आपको कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। परन्तु निबीप्रगानि बैंकों से नेमी स्वरूप प्रीमियम लेता है। संभवत: आपको यह जानकारी नहीं होगी क्योंकि अन्य बैंक शुल्क की तरह यह प्रीमियम आप से नहीं वसूला जाता है।

यदि हमारी बैंकिंग प्रणाली सुद्ढ़ है तो जमा राशियों के बीमा की क्या आवश्यकता हें ?

भारत में सुद्ढ़ बैंकिंग प्रणाली रहने के बावजूद जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सुरक्षा नेट के विभिन्न स्तर उपलब्ध हैं ताकि जमाकर्ताओं के बैंकिंग प्रणाली में विश्वास और भरोसे को निरंतर मजबूत किया जा सके। जबकि, अधिकांश देशों ने हाल के कुछ वर्षों में ही सुरक्षा नेट के महत्व को समझा है, भारत में जमा बीमा प्रणाली की स्थापना बहुत पहले 1961 में ही की गयी थी।

कृपया अपने इस जमा बीमा स्कीम के बारे में संक्षिप्त में बतलायें।

- यह बीमाकृत बैंक की सभी प्रकार की जमाराशियों (बचत, मीयादी, आवर्ती आदि) का बीमा करता है परन्तु विदेशी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य बैंकों से प्राप्त जमाराशियां अथवा भारत के बाहर से प्राप्त जमाराशियों का बीमा नहीं करता है।

- परिसमापन / बैंक का लाइसेन्स रद्द होने की तारीख तक ब्याज सहित शेष मूलधन हर जमाकर्ता को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि का निगम द्वारा पूर्णत: निपटान किया जाता है।
- जमाकर्ता द्वारा विफल बैंक के सभी खातों में समान अधिकार और समान क्षमता के अंतर्गत रखी गयी जमाराशियों को उपर्युक्त सीमा निर्धारण करने के लिए जोड़ा जाता है। तथापि, अलग-अलग बैंकों में विभिन्न अधिकार/क्षमता में रखी गयी जमाराशियों को नहीं जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, श्री 'ए' द्वारा एक ही बैंक में व्यक्तिगत रूप से रखे गए खाते और किसी फर्म के सहभागी के रूप में रखे गए दूसरे खाते को जमा बीमा के प्रयोजन से दो अलग खातों के रूप में समझा जाएगा और प्रत्येक खाता अधिकतम बीमित कवर की 1 लाख रु. सीमा तक अलग-अलग दावे के लिए पात्र होगा। इसी प्रकार, यदि श्री 'ए' और श्री 'बी' द्वारा दो खाते, पहला खाता श्री 'ए' पहले खाता धारक के रूप में और दूसरा खाता श्री 'बी' पहले खाता धारक के रूप में, रखे जाते है तो इन खातों को (*अर्थात* , ए + बी और बी + ए) जमा बीमा के प्रयोजन से दो अलग - अलग खाते माने जाएंगे।

क्या दूसरे बीमा दावों के समान बैंक के विफल होने के बाद से कुछ निर्धारित अवधि के भीतर दावा करना होगा ?

नहीं, बैंक विफलता जैसी असंभावित परिस्थिति में आधिकारिक परिसमापक आप की ओर से दावा प्रस्तुत करेगा और निबीप्रगानि वैध बीमा दावे का यथाशीघ्र और किसी भी परिस्थिति में परिसमापक से दावा प्राप्त करने की तारीख से 2 महीनों के भीतर निपटान करने के लिए बाध्य है।

क्या कोई और जानकारी है जिसे मुझे जानना चाहिए ?

भारत के एक वित्तीय साक्षर नागरिक होने के नाते आपको यह पता होना जरूरी है कि कठिन परिश्रम से कमाया हुआ आपका धन कितना सुरक्षित है ताकि आप अपने जोखिमों का प्रबंधन कर सके। आपको यह जानने का अधिकार है कि आप जिस बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं वह निबीप्रगानि द्वारा बीमाकृत बैंकों की सूची में है या नहीं। आप खाता खोलने के संबंध में सभी नियमों का पालन करें और जमा राशि रखने वाले बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करें ताकि आवश्यक होने पर निबीप्रगानि बिना किसी विलंब के दावे का निपटान कर सके।

मुझे जमा बीमा के संबंध में और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

आपको निबीप्रगानि की वेबसाइट www.dicgc.org.in पर और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होगी अथवा अपने विशेष पूछताछ dicgc@rbi.org.in पर ईमेल कर सकते है अथवा निम्न पते भेज सकते है:

निबीप्रगानि

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी संस्था)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारिबैं(2 री मंजिल), मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन सामने, मुंबई-400 008.

टेलीफोन सं.(022) 2308-4121